UPPG010015832017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.2, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय (एच 0 जे0 एस 0)
J.O. CODE–UP 6467
फौजदारी निगरानी संख्या–58/2017

बिसराजी देवी आयु लगभग 73 वर्ष पत्नी रामबोध,
निवासी पूर्व सहोदरपुर, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–प्रतापगढ़।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

राज्य उ 0 प्र 0 द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल, प्रतापगढ़,

.....विपक्षी ।

निर्णय

1. निगरानीकर्ता की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या–228/2024, अपराध संख्या–524/2014, बिसराजी देवी बनाम कमलाकान्त त्रिपाठी आदि, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ की पत्रावली में न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.02.2017 के निर्णय/आदेश से क्षुब्ध होकर फौजदारी निगरानी प्रस्तुत की गयी।

2. परिवादिनी बिसराजी देवी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा गया कि प्रार्थिनी के पति रामबोध एवं उनके बड़े भाई राम औतार के बीच विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब विवादित जमीन 03 बिस्वा 16 धूर नगद धनराशि अंकन 28500/– रूपये लेकर दिनांक 28.03.1980 को इन्द्राणी देवी/इन्द्राजी देवी व उनके अवयस्क लड़के के हाथ बेच दिया। राम औतार का नाम खारिज होकर इन्द्राणी देवी तथा उनके अवयस्क लडके भैयालाल व गिरजा शंकर संरक्षिका इन्द्राणी देवी अभिलेखो में विवादित जमीन दर्ज हो गयी। राम औतार रेलवे विभाग में बम्बई में कार्यरत थे। इन्द्राणी देवी राम औतार की पत्नी नहीं थी। फर्जी कूट रचित दस्तावेज बनवाकर विवादित जमीन को हड़पने के लिए विपक्षीगण ने कूटरचना कारित किया। न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–524/2014, अन्तर्गत धारा–147,419, 420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्तगण कमलाकान्त त्रिपाठी, प्रभावती देवी, विवेक त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी व नीरज त्रिपाठी, भैयालाल व

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.04 16:45:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गिरजाशंकर के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त किसी अपराध को नहीं पाते हुए साक्ष्य के आभाव में जरिए अन्तिम पत्र संख्या–171/2014 दिनांकित–11.07.2014 विवेचना समाप्त कर एफ.आर. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. इसके विपरीत निगरानीकर्ता/अभियोगिनी मुकदमा द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष 8ब/1 आपत्ति प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा गया कि विपक्षीगण द्वारा कूटरचित एवं असत्य अभिलेखों के आधार पर उसकी पैतृक/विवादित संपत्ति पर अवैध अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। विवेचक द्वारा निष्पक्ष विवेचना न करके महत्वपूर्ण तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों की उपेक्षा करते हुए गलत तरीके से अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इन्द्रानी देवी, भैयालाल एवं गिरिजाशंकर को मृतक राम औतार का वारिस दर्शाया गया है जो कि तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से गलत है, क्योंकि इन्द्रानी देवी मृतक रामऔतार की पत्नी न होकर उनके भाई रामस्वरूप उर्फ रामऔतार की पत्नी थीं, जिनकी मृत्यु वर्ष 1980 से पूर्व हो चुकी थी। उनके नाबालिग पुत्र भैयालाल एवं गिरिजाशंकर अपनी माता इन्द्रानी देवी के संरक्षण एवं देखरेख में रहते थे तथा विधि के अनुसार उनकी संरक्षिका भी इन्द्रानी देवी ही थी। प्रार्थिनी का यह भी कहना है कि दिनांक 28.03.1980 को इन्द्रानी देवी द्वारा अपने नाबालिग पुत्रों के साथ 3 बिस्वा 16 धूर भूमि का विधिवत बैनामा कराया गया था, जिसके आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। बाद में उक्त भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ तथा विपक्षीगण द्वारा कूटरचना कर गलत अभिलेख तैयार कराकर प्रार्थिनी के अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। प्रार्थिनी के अनुसार वर्ष 1988 में विवादित भूमि की सुरक्षा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद भी संस्थित किया गया, जिसमें स्थगनादेश पारित होने के कारण भूमि का आगे हस्तांतरण नहीं हो सका। इसके बावजूद विपक्षीगण ने छल एवं षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थिनी के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया। विवेचक ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के कथनों तथा अभिलेखीय प्रमाणों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी। अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर के, समस्त अभियुक्तों को तलब कर उनके विरुद्ध विधि अनुसार विचारण किया जाए।

4. जॉचोंपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित–28.02.2017 द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या–171/2014 दिनांकित–11.07.2014 स्वीकार की गयी।

5. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानी प्रस्तुत करते हुए निगरानीकर्ता ने संक्षेप में कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–28.02.2017 नैसर्गिक न्याय

एवं विधि के विरूद्ध है। प्रार्थिनी द्वारा अपने आपत्ति पत्र के साथ जो साक्ष्य दिया गया था विचारण न्यायालय द्वारा उसका सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन न करके विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार करने मे भूल की गयी है। प्रार्थिनी के जेठ राम औतार जो निसंतान थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त जमीन जायदाद उनके सगे भाई राम बोध के नाम वरासत दर्ज हो गयी। कमलाकान्त रामबोध के नाम दर्ज सम्पत्ति का इकरारनामा को कूटरचित कर इन्द्राणी देवी, भैयालाल व गिरजाशंकर से राम औतार का तथाकथित वारिस बताकर करा लिया जबकि यह सम्पत्ति उक्त लोगों के नाम दर्ज नही रही है। प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की महिला है जबकि संविदा लिखाने वाले गैर अनुसूचित जाति के हैं, कलेक्टर की परमीशन के बिना इकरारनामा करा लिया गया। विद्वान न्यायालय द्वारा न्यायिक सिद्धान्तो का सही ढंग से पालन न करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत फर्जी विवेचना को सही माना गया है।निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित–28.02.2017 निरस्त करने की कृपा करें।

6. सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7. प्रश्नगत निगरानी में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.02.2017 में शुद्धता, औचित्य एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विचार किया जाना है।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि धारा–161 दं.प्र.सं. के बयान में आवेदिका/ श्रीमती बिसराजी देवी ने कहा कि मेरे पति रामबोध के बड़े भाई रामऔतार थे, जो रेलवे में बम्बई मे नौकरी करते थे। उन्होंने आधी जमीन क्रय की थी। पारिवारिक बंटवारा हम लोगों का नही हुआ था। उन्होने वर्ष 1980 में टक्करगंज में स्थित अपने नाम की तीन बिस्वा 16 धूर जमीन 28,500/–रू0 में इन्द्राणी देवी व उनके लड़के के नाम बैनामा कर दिया। तत्पश्चात रामऔतार का नाम खारिज होकर इन्द्राणी व उनके लड़के भैयालाल के नाम अभिलेखों मे दर्ज हो गया। उसी समय मेरे पति ने वर्ष 1988 में एक वाद 229 बी का एस.डी.एम. सदर न्यायालय में दाखिल किया था। मेरे जेठ राम औतार 1979 में रिटायर्ड हो गये थे। राम औतार ने लिखा है कि उनकी पत्नी विसुना देवी हैं। राम औतार के कोई संतान नहीं थी। इसी बीच इन्द्राणी देवी व उनके लड़के ने शहर की जमीन पर आपत्ति दाखिल किया। जमीन इन्द्राणी देवी व उनके लड़के के नाम दर्ज हो गयी। सन् 2000 में कमला कान्त तिवारी ने उस जमीन के एग्रीमेन्ट इन्द्राणी देवी के लड़के साथ किया। 05 बीघा 15 बिस्वा 7 धूर का एग्रीमेन्ट हुआ। कमला कान्त तिवारी को यह आभास हुआ खेत पर कब्जा नहीं मिलेगा, तब वे एक फर्म इन्द्राणी उद्योग के नाम से खोला।

उसी जमीन पर पांच लाख का ऋण स्वीकृत कराया। जमीन को बन्धक करा दिया। बाद में ऋण की अदायगी न होने पर जमीन कुर्क हो गयी। निल्लामी में जमीन नीरज त्रिपाठी के नाम हस्तांतरण कर दिया गया। यह जमीन का हस्तान्तरण 01.08.2013 को कराया गया। 1980 से ही मेरे पति व जेठ में विवाद हो गया था। कई एक मुकदमें चले। मेरे जेठ अपनी पत्नी इन्द्राणी व लड़के के साथ बाम्बे में रहते थे। राम औतार ने बाद में इन्द्राणी देवी के नाम कर दिया। तहसीलदार ने दिनांक 23.07.1999 को जमीन मेरे पति राम बोध के नाम करने का आदेश दिया। इसके विरोध में एस.डी.एम. के यहां आपत्ति दाखिल किया गया। जमीन राम औतार के नाम थी। इसलिए दिनांक 23.01.2001 को इन्द्राणी देवी के नाम कर दिया गया। मेरे पति ने कमिश्नर के यहा रिवीजन किया। रिवीजन दिनांक 31.08.2002 को खारिज हो गया। जमीन पर ऋण अरबन को–आपरेटिव बैंक से लिया गया था। ऋण की अदायगी न किये जाने पर सरकार द्वारा जमीन की निल्लामी करके दिनांक 04.05.2011 को रजिस्टरी कर दिया गया। जमीन नीरज तिवारी के नाम हो गयी। मेरे पति ने निल्लामी के विरूद्ध मुकदमा दाखिल किया था। जो खारिज हो गया था। मुकदमा संख्या 166/2002 गिरजाशंकर बनाम राम बोध बोर्ड आफ रेवन्यू लखनऊ में लम्बित है। उस मुकदमे में मैं हार चुकी हूँ।

9. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अभिलेख संकलित किये गये है। विवादित भूमि की ऋण अदायगी न होने पर निल्लाम होना प्रथम दृष्ट्या परीलक्षित होता है। निल्लामी के अनुक्रम में विवादित भूमि विपक्षी के पक्ष में हस्तांतरित होना परिलक्षित होता है। पक्षकारों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर मुकदमे निस्तारित होना बताया गया है। विपक्षीगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए अन्तिम रिपोर्ट विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अन्तिम रिपोर्ट विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुक्रम में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह विधि सम्मत है।

10. उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थतियों तथा विधि सिद्धान्तों एवं प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त विधिक रूप से प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। आदेश दिनांकित–28.02.2017 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

11. निगरानीकर्ता की फौजदारी निगरानी संख्या–58/2017 बिसराजी बनाम राज्य, **निरस्त** की जाती है। विचारण न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.02.2017 पुष्ट किया जाता है। मूल पत्रावली के साथ निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय/कार्यालय में अविलम्ब आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

दिनांकः–04.07.2026

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।

12. उक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–04.07.2026

स्टेनो/– सर्वेश सिंह

(राम लाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
जे0 ओ 0 कोड–UP 6467